

प्रपत्र – ए

(आमर्स अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र चाहने हेतु आवेदन-पत्र)

(कायदा 51 देखिये)

पार्ट – 'ए' प्रार्थी की पहचान

1.	नाम आवेदक (लाइसेन्सी)	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म का स्थान (मुख्य स्थान)	
4.	जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)	
5.	हाल का पता (ए) पास का थाना	
6.	स्थाई पता (ए) पास का थाना	
7.	यदि कार्यालय के कर्मचारी हैं तो पेशा यह पते के	

हस्ताक्षर/निशान अंगूठा

8. नोट :–1. पास के थाने का अर्थ है कि जिस थाने के अंतर्गत दिया गया पता आता है।
 2. आवेदक फर्म की स्थिति में फर्म का नाम व भागीदारों का पूर्ण विवरण अंकित करे।

पार्ट “बी” प्रार्थी का अन्य विवरण

9. क्या प्रार्थी को

(ए) किसी आपराधिक प्रकरण में सजा हुई है

हाँ / नहीं

यदि हाँ तो जुर्म संख्या तथा सजा का दिनांक

(ब) क्या प्रार्थी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत शांति बनाये रखने / नेक चलनी हेतु बंद पत्र में पाबंद किया गया है

हाँ / नहीं

(स) शस्त्र अधिनियम 1959 अथवा अन्य कानून के अंतर्गत क्या प्रार्थी को शस्त्र/शस्त्रादि रखने के लिए निषिद्ध किया गया है।

10. (अ) क्या प्रार्थी द्वारा पूर्व में अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन किया है ।

हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किसे आवेदन किया गया है तथा आवेदन पत्र का निर्णय क्या रहा

(ब) क्या प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र कभी निलम्बित या निरस्त हुआ,

हाँ / नहीं

यदि हाँ कब और किस कारण से विवरण

(स) क्या प्रार्थी के किसी कुटुम्बी के पास हथियार का लाइसेन्स है

हाँ / नहीं

यदि हाँ तो उसका ब्यौरा

11. (अ) क्या आवेदक अनुज्ञाधारी है या अनुज्ञा पत्र से मुक्त है।

हाँ / नहीं

- (ब) हथियार रखने का सुरक्षित स्थान है । हॉ / नहीं
- (स) क्या आवेदक बोनाफाईड यात्री है । हॉ / नहीं
- (1) संबंधित देश का नाम
- (2) क्या उसे अपने देश के हथियार कानून द्वारा हथियार रखने से मना किया गया हॉ / नहीं
- (3) भारत में आने की तिथि

नोट :— बोनाफाईड यात्री को उचित मात्रा में धारा 10 एवं नियम 32 के अंतर्गत केवल स्पोर्ट्स के प्रयोजनार्थ शस्त्र एवं कारतुस लाने की स्वीकृति अन्य कारणों से नहीं ।

पार्ट “सी” लाइसेन्स का ब्यौरा

12. लाइसेन्स की आवश्यकता :—
13. फार्म जिसमें अनुज्ञापत्र चाहिये :—
14. हथियार या कारतूस का ब्यौरा :—
 (अ) किस क्षेत्र में हथियार ले जाना चाहता है :—
 (ब) जगह जहाँ हथियार/कारतूस रखे जावेंगे व बनेंगे आदि :—
 (स) आयात/निर्यात का स्थान व मार्ग :—
15. अन्य ब्यौरा जैसा लाइसेन्स फार्म में आवश्यकता हो :—
16. विशेष विचार हेतु :—

नोट :— कॉलम 12 में प्रार्थी को खुलासा लिखना चाहिए कि लाइसेन्स किसलिये चाहिए । प्रयोग, कब्जा, ले जाने, निर्माण करने, बिक्री, स्थानान्तरण, मरम्मत, समपरिवर्तन प्रुफटेस्ट, आयात, पुनःआयात निर्यात पुनः निर्यात, आत्मरक्षा, खैल, प्रदर्शन, मानव शरीर, कृषि पशुओं को जंगली जानवरों से सुरक्षा आदि ।

पार्ट 'डी' दि प्रार्थी आयात/निर्यात/परिवहन/पुनःआयात/पुनःनिर्यात हेतु अनुज्ञापत्र चाहाता है तो

17. (अ) क्या नियम 50 के अंतर्गत स्वीकृती प्राप्त की जा चुकी है :

(ब) उसकी समर्थन में प्रमाण :-

घोषणा :- मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है। यदि किसी समय कोई बात असत्य पायी जाये तो मेरे विपरित शस्त्र अधिनियम 1959 व नियम 1962 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान :-

दिनांक :-

प्रार्थी का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(नोट :- जो पूर्ति लागू न हो उसे काट दें)

चेतावनी :- 1. किसी बात को छिपाना या गलत बयान करना नियम 51-ए के विपरीत है और प्रार्थी धार 30 अस्त्र कानून 1959 के अनुसार दण का भागी होगा।

2. प्रार्थना पत्र (5 प्रतियों में) के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिंट मानचित्र तथा स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति में प्रस्तुत की जानी है।

कार्यालय कार्यवाही

श्री से प्राप्त आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक जयपुर

शहर / पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी.(इंटेलीजेंसी), राजस्थान,

जयपुर / उपजिला मजिस्ट्रेट / मुख्य अग्निशमन अधिकारी

जयपुर / नगर पालिका / सरपंच को वास्ते व जाँच व टिप्पणी हेतु पत्र प्रेषित है।

लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी